न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 105/2024 (GCMS : 2024/145)

1. **करणी सिंह** पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **नवजोत सिंह** पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी चक मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **कुलजीत सिंह** पुत्र करणी सिंह जाति जटसिख निवासी चक मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **सतिन्द्र कौर बराड** पत्नी सतनाम सिंह बराड जाति जटसिख निवासी चक मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **यादविन्द्र सिंह** पुत्र स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख निवासी चक मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** 1452772 Avenue Surrey B.C. V3SE6 Canada जरिये मु.आ. राजेन्द्र सिंह ढिल्लो पुत्र श्री गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
3. **कमलदीप कौर** पुत्री स्व. सतनाम सिंह बराड़ जाति जटसिख निवासी चक मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर **हाल निवासी** 1452772 Avenue Surrey B.C. V3S 8K7 Canada **जरिये मु.आ.** राजेन्द्र सिंह ढिल्लो पुत्र श्री गुरदेव सिंह ढिल्लों जाति जटसिख निवासी वीपीओ शतीरवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. **अर्शदीप सिह** पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एसीसी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (औपचारिक पक्षकार)
5. **उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुभाष मिढ़ा उपस्थित है। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय में सतिन्द्र कौर बराड आदि बनाम करणी सिंह अन्तर्गत धारा 188, 92ए आरटीएक्ट का पेश किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:05 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त वाद के साथ धारा 92 आर टीएक्ट के तहत अस्थाई निषधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार कर, एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पारित करते हुए चक 2 एस पटवार हल्का 13 एच ठड्डा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 45/41 के मुरब्बा नम्बर 31 खाता संख्या 46/32 की कुल 4.400 है. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि पर कब्जा काश्त,उपयोग, उपभोग में दखल अन्दाजी करने से बाज व ममनू रहने व मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले है तथा अप्रार्थीगण का स्थानीय क्षेत्र में काफी राजनैतिक दबाव व प्रभाव है, इसी दबाव व प्रभाव के कारण अप्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार कर एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के हक में जारी की गयी है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण पुनः विधि विरूद्ध तरीके से अधीनस्थ न्यायालय पर दबाव बना रहे है और पीठासीन अधिकारी भी इनके राजनैतिक दबाव व प्रभाव मे आकर अनावश्यक रूचि ले रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से इन्साफ की उम्मीद नही है, इसलिए प्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद को सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया था कि उनके द्वारा धारा 212 आर टीएक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने चक 2 एस पटवार हल्का 13 एच ठड्डा के खाता संख्या 45/41 के मुरब्बा नम्बर 31 खाता संख्या 46/32 की कुल 4.400 है. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि पर कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग में दखल अन्दाजी करने से बाज व ममनू रहने व मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिये है, का प्रार्थी का कथन सही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के विधिसम्मत आदेश दिये है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर ही निर्णय पारित किया जा रहा है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 23.04.2025 एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायलय में 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण संख्या 54/2024 अनवानी सतिन्द्र कौर बराड़ आदि बनाम करणी सिंह आदि को अन्यत्र मुंतकिल के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी, करणपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। इस न्यायालय को धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस न्यायालय को यह देखना है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही,?

प्रार्थी करणी सिंह वगैरहा द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है। बिना किसी पुष्ट साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:05 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 28.0__025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर